न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः– श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
80/13	24.07.13	10-10-22

उनवान

. भरपाई पुत्री हना जाति अहीर निवासी ग्राम कौशलपुर तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर :– वादिया

बनाम

. बस्तीराम पुत्र दाताराम

. बाबूलाल पुत्र दाताराम

. उर्मिली पुत्री दाताराम

. धम्मोदेवी पत्नी दाताराम जाति अहीरान निवासी ग्राम कौशलपुर तहसील किशनगढ़बास

. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़बास :– प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर0टी0 एक्ट

पस्थितिः 1. श्री भुवनेश वकील वादीया की ओर से।

2. श्री धर्मपाल यादव वकील प्रति0 की ओर से।

दफा 53, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955

अन्तिम पर्चा डिक्री

वादीया की ओर से श्री भुवनेश तिवाडी एडवोकेट व प्रतिवादीग की ओर से श्री र्मपाल यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 20.10.22 को श्री गंगाधर मीणा पखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश ाया जाता है ओर अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती हैः–

आराजी ख0न0 527 रकबा 0.58हे0, 734 रकबा 0.27 हे0, 845 रकबा 0.25 हे0 वाके म कौशलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर को प्राप्त कुर्रे कायमी रिपोर्ट दिनांक .4.2018 "प्रदर्श–अ" के अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही अलग– नग खाते कायम कर लगान स्थापित किया जावे, अमल दरामद किया जावे तथा बैंक न की स्थिति मे पक्षकरान को मिलने वाले हिस्से रकबे , आराजी से ऋण राशि लनीय होगी। कुरे कायमी रिपोर्ट "प्रदर्श–अ" निर्णय व अन्तिम पर्चा डिक्री का अभिन्न ग।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 2010.22 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद ाक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(गंगाधर मीणा

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ़बास (अलवर)